



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

ई-मेल /स्पीड पोस्ट
E-Mail/Speed Post

Ref No.: AAI/CHQ/ED ENGG-SR/CHENNAI/TC-CAPCITY ENH./WO/2022/102 Dated: 26.05.2022

To,
M/s RITES LIMITED,
Airports Division, Plot No-144,
Sector-44, Gurgaon,
Haryana-122003,
Contact No. 01242728104,
E-Mail: airports@rites.com

विषय : चेन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की मौजूदा क्षमता को बढ़ाने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति। (निविदा आई. डी.: 2022_AAI_108324_1)

Sub: Appointment of Technical Consultant for providing consultancy services for enhancement of existing capacity of Chennai International Airport. (Tender ID: 2022_AAI_108324_1)

Ref: Your tender (Financial Bid) opened through CPP portal on 11.04.2022.

Dear Sir(s),

1. उपरोक्त कार्य के लिए आपकी निविदा अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से आपके द्वारा उद्धृत कुल राशि रुपये 1,53,00,000/- (रुपये एक करोड़ तिरेपन लाख मात्र) जीएसटी को छोड़कर लेकिन अन्य सभी लागू करों सहित स्वीकार की जाती है।

Your tender for the work mentioned above is hereby accepted on behalf of Chairman, Airports Authority of India, at the amount quoted by you totaling to Rs. 1,53,00,000/- (Rupees One Crore Fifty-Three Lacs Only) exclusive of GST but inclusive of all other applicable taxes.

2. विषय कार्य के लिए महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग-सिविल)- द.क्षे., भा.वि.प्रा., नि. मु. प्रभारी अभियंता होंगे। आपसे अनुरोध है कि महाप्रबंधक (इंजीनियरिंग-सिविल)- द.क्षे., नि. मु., भा.वि.प्रा., ब्लॉक-ए, तीसरी मंजिल, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003 के कार्यालय में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने और अनुबंध को पूरा करने के लिए 20.06.2022 तक उपस्थित हों। अनुबंध 100/- रुपये (एक सौ रुपये) के गैर-न्यायिक

स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाएगा और स्टाम्प पेपर की लागत आपके द्वारा वहन की जाएगी।

General Manager (Engg-Civil)-SR, AAI, CHQ shall be the Engineer-in-Charge for the subject work. You are requested to attend the office of General Manager (Engg-Civil)-SR, CHQ, AAI, Block-A, 3rd Floor, Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport, New Delhi-110003 by 20.06.2022 to sign and complete the contract agreement. The contract agreement shall be executed on non-judicial stamp paper of value Rs.100/- (Rupees one hundred) and the cost of the stamp papers shall be borne by you.

3. कृपया रुपये 5,00,000/- (पांच लाख रुपये मात्र) की राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी कार्य प्रभारी अभियंता को इस पत्र के जारी होने के 10 दिनों के भीतर जमा करें। आपकी निविदा के साथ ऑनलाइन भुगतान के रूप में प्राप्त बयाना राशि रु 5,00,000/- (पांच लाख रुपये मात्र) को उपरोक्त डीडी/बैंक गारंटी जमा करने पर सीपीपी पोर्टल के माध्यम से जारी कर दिया जाएगा। आगे इस पत्र के जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर रुपये **2,65,000** (रुपये दो लाख पैंसठ हजार मात्र) शेष प्रतिभूति जमा राशि जमा करें। ऐसा न करने पर उपरोक्त राशि अनुबंध दस्तावेज़ के पृष्ठ 63 पर एससीसी अनुच्छेद 3.1 की शर्त के अनुसार आपके चालू बिल से काट लिया जाएगा।

Please deposit the Demand Draft/Bank Guarantee amounting to **Rs. 5,00,000/-** (Rupees Five Lacs Only) to the Engineer-in-charge of the work within 10 days from the issue of this letter. The earnest money amount of Rs. 5,00,000/- (Rupees Five Lacs Only) received in the form of Online payment along with your tender will be released through CPP portal on submission of aforesaid DD/Bank Guarantee. Further, deposit **Rs. 2,65,000/-** (Rupees Two Lacs Sixty-Five Thousand Only) towards balance Security Deposit within 30 days from the date of issue of this letter failing which the same will be deducted from your running bill as per condition of SCC clause 3.1 at page 63 of the contract document.

4. आपसे अनुरोध है कि अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम 1970 और ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम 1971, बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम 1986, निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1996, भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996, के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के नियमों के प्रावधान का पालन करें।

You are requested to comply with the provision of Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970 and Contract Labour (Regulation and Abolition) central rules



1971, Child labour (Prohibition & Regulation) Act 1986, Construction workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act 1996, Building and other Construction workers welfare cess Act 1996 as per rules of Central and State Government.

5. आपको महाप्रबंधक (वास्तु.), भा.वि.प्रा., नि. मु., से तुरंत संपर्क करने के लिए भी निर्देशित किया जाता है जो कार्य के नोडल अधिकारी होंगे एवं आपको स्थल सौंपने की व्यवस्था करेंगे।

You are also directed to contact General Manager (Arch.), AAI, CHQ immediately who will be the nodal officer of work and will arrange to handover the site to you.

6. कृपया ध्यान दें कि कार्य करने के लिए अनुमत समय 06 महीने होगा और इसकी गणना इस पत्र के जारी होने के 10वें दिन से होगी।

Please note that time allowed for carrying out the work shall be 06 months and same shall be reckoned from the 10th day after issue of this letter.

7. अनुबंध के संबंध में किसी भी भावी पत्राचार को सामान्यतया प्रभारी अभियंता को संबोधित किया जाना चाहिए।

Any future correspondence in connection with the contract should normally be addressed to the Engineer- in -Charge.

8. कृपया रसीद की पावती दें और इसके साथ संलग्न इस पत्र की डुप्लीकेट प्रति हस्ताक्षर करने के बाद अधोहस्ताक्षरी को स्वीकृति के प्रतीक के रूप में लौटा दें।

Please acknowledge the receipt and return the duplicate copy of this letter enclosed herewith after signing it to the undersigned as a token of acceptance.

9. In case of any ambiguity, the english version will be followed.

Yours Faithfully,


(M. Yadaiah)

General Manager (Engg-Civil)-SR, CHQ.
For and on behalf of the Chairman,
Airports Authority of India.